भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3405

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत लाभ

3405. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) स्कोर एक मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिबिल स्कोर को अनिवार्य बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे योजना के बेहतर कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या इससे लाभार्थियों को भी नुकसान होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रधान मंत्री विश्वकर्मा के अंतर्गत सिबिल स्कोर के मानदंड को हटाने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि प्राप्त लगभग दो करोड़ आवेदनों में से 1.3 करोड़ आवेदन ग्राम पंचायतों के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्राम पंचायतों के पास इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने के क्या कारण हैं और सरकार इसका निस्तारण किस प्रकार करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम की निगरानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।

डीएफएस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रेडिट घटक के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे लाभार्थियों के लिए क्रेडिट सूचना रिपोर्ट की आवश्यकता होती है जिनका क्रेडिट इतिहास है, ताकि किसी भी चूककर्ता को स्कीम के तहत फिर से क्रेडिट का लाभ उठाए जाने से बाहर रखा जा सके।

दिनांक 14.08.2024 को बैंकों को जारी किए गए एफएक्यू में सिबिल स्कोर के मुद्दे का विशेष रूप से समाधान किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्रेडिट घटक का लाभ उठाने के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया गया है।

अत: स्कीम के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ङ) और (च) : पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, ग्राम पंचायत के प्रमुख/ग्राम परिषद के अध्यक्ष अथवा शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी प्रमुख/प्रशासक के माध्यम से आवेदनों का चरण-1 स्तरीय सत्यापन किया जाता है। दिनांक 09.03.2026 तक, चरण-1 स्तर पर सत्यापन के लिए 83.53 लाख आवेदन लंबित हैं, जिनमें से 55.54 लाख आवेदन ग्राम पंचायतों के पास हैं और 27.99 लाख आवेदन शहरी स्थानीय निकायों के पास हैं।

इस स्कीम के तहत 30 लाख पंजीकरणों के लक्ष्य की तुलना में निर्धारित, यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है।

*****